


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों का उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन सामने अंकित स्थान से आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय वर्तमान पदस्थापन	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	अशोक कुमार मोदी, रीडर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर	फरवरी-16 एवं मार्च-16	रीडर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर रिक्त पद के विरुद्ध
2	श्रीमती अलका तिवाड़ी, प्रधानाचार्य, राउमावि, टसकोला-पावटा, जयपुर	अगस्त-15 से नवम्बर-15 तक	राउमावि, बिलाली, अलवर
3	उदयलाल वर्मा, प्रअ, रामावि, मुडधंसा-हिण्डोली, बून्दी	मार्च-16	रामावि, मुडधंसा-हिण्डोली, बून्दी
4	मधु शर्मा, वरि0व्या0 डाईट, उदयपुर	अगस्त-15 एवं सितम्बर-15	वरि0व्या0 डाईट, उदयपुर
5	गायत्री आर्य, प्रधानाचार्य, राबाउमावि, गोविन्दगढ-जयपुर	सितम्बर-14 एवं अक्टूबर-14	बुज-जमवारामगढ, जयपुर
6	हेमराज यादव, प्रधानाचार्य, राउमावि, शाहबाद-अलवर	25 जुलाई-15 से 31 अगस्त-15	राउमावि, ग्वालदा-तिजारा, अलवर
		सितम्बर-15 से जनवरी-16	राउमावि, सरहेटा-अलवर
7	अशोक कुमार कुमावत, प्रअ, रामावि, आकोदा-दूदू, जयपुर	17.7.15 से 31.7.15 तक	रामावि, श्योसिंहपुरा-दूदू, जयपुर
8	अशोक कुमार शर्मा, अति.जि.शि.अ. कार्या. जि.शि.अ. माध्यमिक, दौसा	दिसम्बर-15 एवं जनवरी-16	राउमावि, अजबगढ-अलवर


उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो नियमानुसार अवकाश प्रकरण का निस्तारण कर वेतन आहरण की कार्यवाही की जावे।

  
संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 30.03.2016  
21/4/16

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1,2/वेतन व्यवस्था/2015/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्य)
2. संबंधित जि.शि.अ. (माध्य) को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश में अगर पाते वेतन प्रधानाध्यापक का नाम शामिल है, तो उपरोक्त आदेश पाते वेतन प्र.अ. की हद तक लागू नहीं होगा।
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. गार्ड फंजिका

  
संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)